न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट, अम्बेडकर नगर

UPAN010010492026

जमानत आवेदन सं0–26/2026 **कम्प्यूटर सं0–253/2026**

1– कृष्ण कुमार आयु लगभग 67 वर्ष पुत्र प्रेमनाथ
2– दीपक कुमार आयु लगभग 29 वर्ष पुत्र कृष्ण कुमार
3– प्रभंजन उर्फ प्रदुम आयु लगभग 38 वर्ष पुत्र कृष्ण कुमार
4– सतरूपा आयु लगभग 52 वर्ष पत्नी कृष्ण कुमार
5– उमा पत्नी प्रभंजन उर्फ प्रदुम
समस्त निवासीगण ग्राम बड़ागांव चौबे का पूरा, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर
————आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 सरकार ————————————————————————अभियोजन पक्ष

11.03.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार, दीपक कुमार, प्रभंजन उर्फ प्रदुम, सतरूपा व उमा द्वारा मु.अ.सं. 345/2025, अन्तर्गत धारा–191(2),191(3),115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा–3(1)द,ध व 3(2)va एससी/एसटी एक्ट, थाना–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर के प्रकरण में न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर हैं। आज आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसर्मपण किया गया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आवेदक/अभियुक्त कृष्ण कुमार की ओर से स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.08.2025 को समय लगभग 14:19 बजे वादिनी रेनू देवी द्वारा थाना बसखारी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गई कि प्रार्थिनी की पुश्तैनी आबादी की भूमि को गांव के कृष्ण कुमार, लालबहादुर, दीपक, पदुम, गुल मोहम्मद आदि लोग एक राय होकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। प्रार्थिनी व उसके परिवारों ने जब विरोध किया तो भद्दी भद्दी गाली देते हुये व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुये उन्हें लाठी डण्डा व लात घूसों से मारा पीटा जिससे उन्हें गंभीर चोटें आयी। हल्ला गुहार पर गांव के लोग आये तब उनकी जान बची। वादिनी की सूचना के आधार पर थाना जलालपुर पर नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थीगण की जमीन हड़पने के लिये व सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिये उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह न्यायालय के आदेशों को मानने व अपनी जमानत देने को तैयार हैं। तद्नुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4. वादिनी मय अधिवक्ता उपस्थित। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया। वादिनी की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया आवेदगण/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके परिवार वालों को जातिगत शब्दों भूषित कर सार्वजनिक स्थान पर

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.11 17:52:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपमानित किया गया, लाठी डण्डा से मारा पीटा गया व भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अभियुक्तगण दबंग हैं। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–191(2),191(3),115(2),352,351(3) बी.एन.एस. व धारा–3(1)द,ध व 3(2)va एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आक्षेप है। प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अतिरिक्त अन्य आक्षेप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में आरोप पत्र आ चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार, दीपक कुमार, प्रभंजन उर्फ प्रदुम, सतरूपा व उमा द्वारा मु.अ.सं. 345/2025, अन्तर्गत धारा–191(2),191(3),115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा–3(1)द,ध व 3(2)va एससी/एसटी एक्ट, थाना–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को मु0 25,000–25,000/–रूपये, (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये मात्र) की दो–दो जमानते व इतनी ही धनराशि के निजी बंन्धपत्र प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांकः–11.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.1874